पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्री कल्पित शिवरान RAS

प्रकरण सं0 : 165/2017

वादीगण :-

1. अजीजखां पुत्र उमरदीन जाति तेली निवासी कलाना तहसील भादरा।
2. नजरदीन पिसरान कमरदीन जाति तेली निवासी कलाना तहसील भादरा हाल निवासी वार्ड नं0 1 बिहारीपुराबास तहसील भादरा।
3. मजीद खां पिसरान कमरदीन जाति तेली निवासी कलाना तहसील भादरा हाल निवासी वार्ड नं0 1 बिहारीपुराबास तहसील भादरा।
4. हुसनखां पिसरान कमरदीन जाति तेली निवासी कलाना तहसील भादरा हाल निवासी वार्ड नं0 1 बिहारीपुराबास तहसील भादरा।
5. खुर्शीदमोहम्मद पिसरान कमरदीन जाति तेली निवासी कलाना तहसील भादरा हाल निवासी वार्ड नं0 1 बिहारीपुराबास तहसील भादरा।
6. काली बानो पत्नी हुसैन जाति तेली निवासी कलाना हाल निवासी वार्ड नं0 1 भादरा त0 भादरा।
7. मकबूल पुत्र हुसैन जाति तेली निवासी कलाना हाल निवासी वार्ड नं0 1 भादरा त0 भादरा।
8. सलीम पुत्र हुसैन जाति तेली निवासी कलाना हाल निवासी वार्ड नं0 1 भादरा त0 भादरा।
9. रोशनी बानो पत्नी सरीफ जाति तेली निवासी कलाना हाल वार्ड नं0 1 भादरा त0 भादरा।
10. जाकिर पुत्र सरीफ जाति तेली निवासी कलाना हाल वार्ड नं0 1 भादरा त0 भादरा।
11. आबिद पुत्र सरीफ नाबालिग जरिये वली कुदरती माता रोशनी पत्नी सरीफ जाति तेली निवासी कलाना हाल वार्ड नं0 1 भादरा तहसील भादरा।
12. शोकीन पुत्र शरीफ नाबालिग जरिये वली कुदरती माता रोशनी पत्नी सरीफ जाति तेली निवासी कलाना हाल वार्ड नं0 1 भादरा तहसील भादरा।
13. गुलाब खां पुत्र उमरदीन जाति तेली निवासी कलाना तहसील भादरा।

—वादीगण

बनाम

1. मुन्शीखां पुत्र नूरदीन जाति तेली निवासी कलाना तहसील भादरा।

असल प्रतिवादीगण

2. असगर पुत्र अजीमुदीन जाति तेली निवासी कलाना तहसील भादरा।
3. नानु पत्नी सराजु पुत्र जीमुदीन जाति तेली निवासी कलाना तहसील भादरा।
4. हसन पुत्र सराजु पुत्र जीमुदीन जाति तेली निवासी कलाना तहसील भादरा।
5. हनीफ पुत्र सराजु पुत्र जीमुदीन जाति तेली निवासी कलाना तहसील भादरा।
6. जाकिर पुत्र सराजु पुत्र जीमुदीन जाति तेली निवासी कलाना तहसील भादरा।
7. नसीब पुत्री सराजु पुत्र जीमुदीन जाति तेली निवासी कलाना तहसील भादरा।
8. सन्तोष पुत्री सराजु पुत्र जीमुदीन जाति तेली निवासी कलाना तहसील भादरा।
9. पोपा पुत्री सराजु पुत्र जीमुदीन जाति तेली निवासी कलाना तहसील भादरा।
10. कलसुम पुत्री हुसैन पत्नी रोशन जाति तेली निवासी कलाना हाल निवास लाखलाण तहसील राजगढ़ जिला चूरू।
11. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व भादरा।

तरतीबी प्रतिवादीगण

निर्णय **दिनांक : 10.06.2024**

आज यह वाद न्यायालय सहायक कलक्टर फास्ट–ट्रैक भादरा के समक्ष वकील वादीगण श्री लीलाधर अग्रवाल, कपूरचन्द शर्मा एवं वकील प्रतिवादीगण श्री विक्रम शर्मा, कृष्ण भारी की उपस्थिति में निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर एवं वाद वादी साबित नहीं होने के कारण वाद भूमि वर्तमान रोही मोजा डुंगराना ख0नं0 734/309 की कृषि भूमि में 14 बीघा 7 बिस्वा भूमि जो नूरदीन की खरीदी हुई है को छोड़ते हुए भूमि का कुल रकबा 5.400 है0 में से कम करते हुए शे[illegible] अपना दावा साबित करने में असफल रहे है। इस कारण दावा वादीगण खारिज किया [illegible] है। [illegible] पक्षकारान अपना अपना वहन करें। इसी अनुरुप पर्चा डिक्री जारी हो।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 10.06.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(कल्पित शिवरान)RAS
सहायक कलक्टर(फास्ट ट्रैक)
भादरा

Signature Not Verified
Digitally signed by Kalpit Shivran
Date: 2025.07.10 13:55:03 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्री कल्पित शिवरान RAS

प्रकरण सं0 : - 165/2017

अपीलान :-

1. अजीजखां पुत्र उमरदीन जाति तेली निवासी कलाना तहसील भादरा।
2. मलकदीन पिसरान कमरदीन जाति तेली निवासी कलाना तहसील भादरा हाल निवासी वार्ड नं0 1 बिहारीपुराबारा तहसील भादरा।
3. मजीद खां पिसरान कमरदीन जाति तेली निवासी कलाना तहसील भादरा हाल निवासी वार्ड नं0 1 बिहारीपुराबारा तहसील भादरा।
4. हसनखां पिसरान कमरदीन जाति तेली निवासी कलाना तहसील भादरा हाल निवासी वार्ड नं0 1 बिहारीपुराबारा तहसील भादरा।
5. खुशीमोहम्मद पिसरान कमरदीन जाति तेली निवासी कलाना तहसील भादरा हाल निवासी वार्ड नं0 1 बिहारीपुराबारा तहसील भादरा।
6. माड़ी बानो पत्नी हुरौन जाति तेली निवासी कलाना हाल निवासी वार्ड नं0 1 भादरा तहसील भादरा।
7. महबूब पुत्र हुरौन जाति तेली निवासी कलाना हाल निवासी वार्ड नं0 1 भादरा त0 भादरा।
8. सलीम पुत्र हुरौन जाति तेली निवासी कलाना हाल निवासी वार्ड नं0 1 भादरा त0 भादरा।
9. रोशनी बानो पत्नी सरीफ जाति तेली निवासी कलाना हाल वार्ड नं0 1 भादरा त0 भादरा।
10. जाकिर पुत्र सरीफ जाति तेली निवासी कलाना हाल वार्ड नं0 1 भादरा तहसील भादरा।
11. आबिद पुत्र सरीफ नाबालिग जरिये वली कुदरती माता रोशनी पत्नी सरीफ जाति तेली निवासी कलाना हाल वार्ड नं0 1 भादरा तहसील भादरा।
12. शोकीन पुत्र शरीफ नाबालिग जरिये वली कुदरती माता रोशनी पत्नी सरीफ जाति तेली निवासी कलाना हाल वार्ड नं0 1 भादरा तहसील भादरा।
13. गुलाब खां पुत्र उमरदीन जाति तेली निवासी कलाना तहसील भादरा।

—वादीगण

बनाम

1. मुन्शीखां पुत्र नूरदीन जाति तेली निवासी कलाना तहसील भादरा।

असल प्रतिवादीगण

2. असगर पुत्र अजीमुदीन जाति तेली निवासी कलाना तहसील भादरा।
3. नानु पत्नी सराजु पुत्र जीमुदीन जाति तेली निवासी कलाना तहसील भादरा।
4. हसन पुत्र सराजु पुत्र जीमुदीन जाति तेली निवासी कलाना तहसील भादरा।
5. हनीफ पुत्र सराजु पुत्र जीमुदीन जाति तेली निवासी कलाना तहसील भादरा।
6. जाकिर पुत्र सराजु पुत्र जीमुदीन जाति तेली निवासी कलाना तहसील भादरा।
7. नसीब पुत्री सराजु पुत्र जीमुदीन जाति तेली निवासी कलाना तहसील भादरा।
8. सन्तोष पुत्री सराजु पुत्र जीमुदीन जाति तेली निवासी कलाना तहसील भादरा।
9. पोपा पुत्री सराजु पुत्र जीमुदीन जाति तेली निवासी कलाना तहसील भादरा।
10. कलसुम पुत्री हुरौन पत्नी रोशन जाति तेली निवासी क[illegible] निवास लाखलाण तहसील राजगढ़ जिला चुरू।
11. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार [illegible]

Signature Not Verified

Digitally signed by Kalpit Shivran
Date: 2025.07.10 13:55:03 IST
Reason: SelfAttested

तरतीबी प्रतिवादीगण

दरख्वास्त अस्थाई निषे[illegible] बाबत एवं रिकार्ड दुरूस्ती

उपस्थिति : वकील श्री लीलाधर अग्रवाल, कपूरचन्द शर्मा- **वादीगण**

वकील श्री विक्रम शर्मा-**अप्रार्थी संख्या 1**

वकील श्री कृष्ण भारी-**अप्रार्थी संख्या 10**

निर्णय

दिनांक : 10.06.2025

कलक्टर
(फ.)भादरा

Scanned with CamScanner

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि वादभूमि रोही मौजा गांव डूंगराना के खाता संख्या 311/263 में खसरा संख्या 734/309 का कुल क्षेत्रफल 5.400 है0 बारानी राजस्व रिकार्ड में मुन्शीखां पि0मु0 नूरदीन कौम तेली साकिन कलाना के नाम दर्ज है। वादीगण ने दावा की मद संख्या 2 में सजरा दर्ज करते हुए कथन किया है कि वादीगण जमाबंदी खेवट खतौनी ग्राम गुंजासरी तहसील भादरा की संवत 2012 से 2015 में उक्त कृषि भूमि में खुदाबक्स के वारिसान मोहम्मदा व उमरदीन की बहिस्सा बराबर 1/2 हिस्सा, असरफिया व समसूदीन पिसरान जोरा 1/4 हिस्सा, मेहरदीन, गनीया, नानु, पि0 समसु की बहिस्सा बराबर 1/4 हिस्सा खातेदार काश्तकार थे। उक्त भूमि असरफिया हिस्सेदार खसरा संख्या 91 मिन की 16-1/3 मजरूआ, मेहरदीन हिस्सेदार 91 मिन की 16-1/4 मजरूआ, मोहम्मदा हिस्सेदार 91 मिन 16-1/4 मजरूआ, रामरख चमार 91 मिन मे 16-1/3 मजरूआ मिजान खाता 65-1/3 मजरूआ की कुल 65.14 बिघा खाम खातेदारी थी। खुदाबक्स के वारिसान मोहम्मदा उर्फ महरदीन व उमरदीन की 1/2 हिस्सा व उमरदीन व समसूदीन उर्फ समीरा की 1/4 हिस्सा, मेहरदीन, गनिया, नानू, पीरबक्स पिसरान समन की 1/4 हिस्सा खातेदार काश्तकार थे। इसके अलावा वादीगण के पूर्वज खसरा नंबर 89 की 23.17 बीघा खाम भूमि और काश्त करता था। दौराने सैटलमैंट उक्त भूमि नये नंबर 132 से 135 में पैमुद हुई जो बाद में पं0नं0 733/309 की 8.5 बीघा खसरा नंबर 734/309 की 21.07 बीघा खसरा नंबर 735/309 की 9.04 बीघा खसरा नंबर 736/309 की 8.19 बीघा में तब्दील हुई। वादी के दादा मोहम्मदा का नाम राजस्व विभाग के कर्मचारियों व अधिकारियों की लापरवाही से राजस्व रिकार्ड में दर्ज नहीं हुआ। मोहम्मदा पुत्र खुदाबक्स का 1/4 हिस्सा छोड़कर भूमि का विवरण सही रहा। खसरा नं0 733/309 की 8.5 बीघा खसरा नं0 735/309 की 9.04 बीघा खसरा नं0 736/309 की 8.19 बीघा ख0नं0 734/309 की 21.07 बीघा जिसमें अकेले प्रतिवादी संख्या 1 मुंशीखां का नाम दर्ज कर दिया गया जिस बाबत वादीगण या उनके पिता को न तो सुना गया ना नोटिस दिया गया। नूरदीन वल्द मोहम्मदा की खरीदशुदा कृषि भूमि चानण वल्द चोखाराम कौम महाजन साकिन कलाना से रोही मौजा गुंजासरी में खातेदारी खसरा नं0 89 की तादादी 23.17 बीघा खाम सरप्लस नंबर वाके है। उक्त कृषि भूमि वास्तव में मोहम्मद खां की खरीद की हुई थी लेकिन बैयनामा नूरदीन के नाम से करवा दिया कुल रकम मोहम्मद खां द्वारा चानण वल्द चोखा को दी गई थी। न्यायालय द्वारा बैयनामा के आधार पर नूरदीन को उक्त भूमि का खरीददार मानता है तथा मिलान खसरा तहसील भादरा में संवत 2036 को आग लग जाने के कारण सम्पूर्ण रिकार्ड नष्ट हो गया व अन्य जगह तलाश करने पर भी मिलान खसरे उपलब्ध नहीं हुए। लेकिन प्रतिवादी संख्या 1 के शपथ पत्र दिनांक 28.03.2011 को रोही मोजा डुंगराना के खसरा नं0 734/309 में कृषि भूमि स्थित होना व जिसमें डिग्गी का निर्माण कार्य करना व उक्त कृषि भूमि बैयनामा श्री चानण पुत्र चोखाराम जाति महाजन निवासी कलाना तहसील भादरा से जरिये बैयनामा दिनांक 15.07.1958 को खरीदशुदा होना व अपने आपको विरासतन में प्राप्त होना दर्शाया है। अतः पुराना खसरा सख्या 89 की भूमि खसरा नं0 733/309 व 734/309 की ही है तथा चानण वल्द चोखा का बैयनामा द्वारा 23-17 बीघा खाम के पुख्ता 14 बीघा 7 बिस्वा बनते है। जबकि उक्त खसरा वर्तमान में 5.400 है0 बारानी राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। जिससे यह साबित होता है कि चानण वल्द चोखा द्वारा पुख्ता 14 विघा 7 बिस्वा का बेचान [illegible] भी 21 बीघा 3 बिस्वा भूमि दर्ज है अतः उक्त भूमि चानण वल्द चोखा से [illegible] भूमि है वह भूमि विरासतन भूमि है। जिस पर मोहम्मदा के [illegible]। वादीगण व उनके पिता उमरदीन, अजीमुदीन व [illegible] वादी संख्या 1 ने अपने [illegible] का नाम 734/309 में नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा ली अतः प्रतिवादी संख्या [illegible] के हक हिस्से के अनुसार राजस्व कलमजन किया जाकर वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 के हक हिस्से के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया जावे।

दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण की तलबी की जाने पर प्रतिवादी संख्या 1, 10 जरिये वकील हाजिर आये। प्रतिवादी संख्या 1, 11 द्वारा जवाबदावा पेश किया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Kalpit Shivran
Date: 2025.07.10 13:55:03 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

प्रतिवादी संख्या 10 द्वारा जवाब पेश नहीं किया जाने पर जवाब बंद किया गया। प्रतिवादी संख्या 2 ता 9 वाबजूद तामील के उपस्थित नहीं आये उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

प्रतिवादी संख्या 1 ने जरिये वकील उपस्थित आकर अपना जवाब पेश कर कथन किया कि खसरा नं0 374/309 की 5.400 है0 प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज है तथा ग्राम गुंजासरी की संवत 2012–15 की जमाबंदी में उमरदीन व समसुदीन उर्फ समीरा 1/4 हिस्सा, मेहरदीन, गनिया, नानू, पीरबक्श पिसरान समन 1/4 हिस्सा के खातेदार काश्तकार थे। जो स्वीकार नहीं है। संवत 2012–15 की जमाबंदी में असरफिया, समसुदीन पिसरान जोरा बहिस्सा बराबर 1/4 हिस्सा, मेहरदीन व गनिया व नानू पिसरान समन बहिस्सा बराबर 1/4 भाग मोहम्मदा व उमरदीन पिसरान खुदाबक्श बहिस्सा बराबर 1/2 भाग के अंकन है किसी के भाग के आगे उर्फ नहीं लगा हुआ है ना ही उसमें पीरबक्श का नाम दर्ज है। खसरा नं0 89 की 23–17 बीघा खाम भूमि चानण महाजन की थी जो बएवज कीमत उसके पिता नूरदीन ने खरीद कर बैयनामा अपने नाम तस्दीक रजिस्ट्रर करवा लिया वादीगण ने ख0नं0 91 के चार खसरों खसरा नं0 132 से 135 बनने बताये है। इसी प्रकार पुनः उक्त खसरों के नये खसरा नंबर बनने बताये है। वादी ने पुनः खसरा नंबर 132 से 135 से उक्त भूमि खसरा नंबर 733/309 की 8–5 बीघा, खसरा नं0 734/309 की 21–07 बीघा, खसरा नं0 735/309 की 9–04 बीघा तथा खसरा नं0 736/309 की 8–19 बीघा में तब्दील होना बताई है। इसका भी कोई विवरण दावा में प्रस्तुत नहीं किया तथा खसरा सख्या 133 तथा बाद में खसरा संख्या 734/309 को गलत तरीके से दर्ज किया है। वर्तमान खसरा संख्या 734/309 की 21–07 बीघा जो मिन जवाब देहिन्दा की खातेदारी है, को बेवजह वादी ने इसमें शामिल किया है। खाम 65.14 बीघा के 39 बीघा पुख्ता बनते है।

भु–प्रबंध विभाग ने मोका पर कब्जा पैमाइस करके कागजात का सही अंकन मुलाहिजा करते हुए रिकार्ड तैयार कर अंकन किया है इसलिये गलत होने का प्रश्न ही नहीं उठता है। ख0नं0 734/309 की खातेदारी जो मिन प्रतिवादी के नाम दर्ज है के बारे में अर्ज है कि रोही गुंजासरी के ख0नं0 89 की 23–17 बीघा चानण महाजन से खरीद कर दिनांक 14.07.58 को नूरदीन ने अपने नाम से बैयनामा करवाया है जिसके पुख्ता 14–07 बीघा बने तथा शेष बंटवारे में मिली भूमि इस बाबत इस खाता में दर्ज कर दी गई थी। वादीपक्ष को कलाना की भूमि अधिक दी गई थी। वादीपक्ष स्वयं अपने आपको ही मोहम्मदा का वारिस मानते है जबकि प्रतिवादी सख्या 1 भी मोहम्मदा का वारिस है। वादी 1 व 13 के पिता उमरदीन को रोही मौजा कलाना के ख0नं0 369 की 36–02 बीघा ख0नं0 355 की 17–08 बीघा कुल 53–10 बीघा खातेदारी मिली, तथा वादी संख्या 2 ता 12 व प्रतिवादी संख्या 10 के वाल्देन कमरदीन को रोही मौजा कलाना के ख0नं0 374 की 25–02 बीघा तथा प्रतिवादी संख्या 1 को खसरा नं0 353 की 9 बीघा प्राप्त हुई। प्रतिवादी सख्या 2 ता 9 के वाल्देन जीमुदीन को खसरा नं0 352 की 13–07 बीघा तथा ख0नं0 618 की 13–07 बीघा इस प्रकार कुल 26–14 बीघा प्राप्त हुई। जो जीमुदीन के वारिसान सराजुदीन के नाम से नया खसरा नं0 1205/352 की 1.682 है0 व 1268/618 की 1.695 है0 कुल 3.377 है0 दर्ज है। प्रतिवादी संख्या 1 मुंशी खां को रोही मोजा कलाना के अलावा रोही मोजा गुंजासरी में 7 बीघा प्राप्त हुई। जो खरीद वाले रकबे के साथ मिलकर उसका 21–07 बीघा का खाता [illegible] वर्षों से अधिक समय से मिन प्रतिवादी व पहले उसके पिता के नाम दर्ज चली आ र[illegible] भूमि पर उसका कब्जा 55 वर्षो से अधिक पुराना हो गया है। वादी [illegible] तथा दो पीढ़ियों से वे कब्जे से बाहर है ऐसे में कब्जे के अभाव में वादी [illegible] घोषणा व निषेधाज्ञा की डिक्री पाने के मजाज है। वादीगण ने कलाना वाली भूमि को [illegible]यालय से छुपाया है तथा मोहम्मदा के वारिसान मे बलकीस पुत्री शरीफ को भी दावा में पक्षकार दर्ज नहीं किया है इसलिये उसका दावा काबिल खारिजी के है। इस पर न्यायालय द्वारा दिनांक 07.02.2019 को दोनों पक्षों की मौजूदगी में तनकीयात कायम की गई तथा दोनों पक्षों के अभिभाषकगण ने तनकीयात के संबंध में पूर्व में प्रस्तुत साक्ष्य की पढ़ा जाने का निवेदन किया और अतिरिक्त

Signature Not Verified
Digitally signed by Kalpit Shivran
Date: 2025.07.10 13:55:03 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

साक्ष्य पेश ना करना जाहिर किया जिस पर न्यायालय द्वारा निम्न तनकीयात कायम की गई जिनके अतिरिक्त दोनों पक्षों द्वारा और कोई तनकीयात नहीं सुझाई गई:–

1. आया खसरा नं0 734/309 की तादादी 21–7 बीघा में नूरदीन की खरीदशुदा 14–07 बीघा कम करने के बाद शेष भूमि वादीगण के पूर्वज मोहम्मदा की खसरा संख्या 91 मिन की भूमि का भाग है तथा उक्त भूमि विरासतन होने के कारण वादीगण प्रतिवादी नं0 1 का नाम कलमजन करवाकर वादीगण के हक व हिस्से के अनूसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाने का मजाज है? वादीगण।
2. आया वादीगण बखिलाफ प्रतिवादी नं0 1 किसी किस्म की निषेधाज्ञा पाने के मजाज है ? वादीगण
3. आया वादीगण व प्रतिवादी 2 ता 10 के पूर्वजों को बंटवारा में कलाना की रोही में अधिक भूमि मिली थी व प्रतिवादी 1 के पिता को कलाना की रोही में 9 बीघा के अलावा गुंजासरी की रोही में 7 बीघा भूमि मिली थी जिसे प्रतिवादी संख्या 1 के पिता द्वारा खरीदशुदा भूमि में शामिल करते हुए वर्तमान में प्रतिवादी नं0 1 के नाम 734/309 में 21–7 बीघा दर्ज हुई जिस पर गत 55 वर्षो से काबिजहै ? प्रतिवादी संख्या 1
4. आया वादीगण ने कब्जा की दावा में मांग नहीं की है। इस कारण वादीगण का घोषणा व निषेधाज्ञा के प्रयोजन हेतु दावा काबिल चलने के नहीं है ? प्रतिवादी संख्या 1
5. आया दावा में पक्षकारों के असंयोजन का नुक्स आरिज है इस कारण दावा में प्रभावी डिक्री पारित नहीं हो सकती ? प्रतिवादी संख्या 1
6. अनुतोष

साक्ष्यवादी में पीडब्ल्यू 1 अजीज खां के बयान करवाये गये वादी ने दस्तावेजी साक्ष्य में प्रमाणित प्रतिलिपि पर्चा डिक्री दिनांक 01.10.2012 सहायक कलक्टर भादरा प्रदर्श 1, पर्चा डिक्री दिनांक 13.07.2017 राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ़ प्रदर्श 2, जमावंदी मोजा डुंगराना संवत 2071–74 प्रदर्श 3, शपथ पत्र मुशी खां प्रदर्श 4, जमाबंदी मौजा भादरा खास संवत 2029–38 प्रदर्श 5, जमावंदी मोजा भादरा बारानी संवत 2036–40 प्रदर्श 6 प्रदर्शित कर जिरह करवाई गई।

साक्ष्य प्रतिवादी में डीडब्ल्यू 1 मुन्शी खां, डीडब्ल्यू 2 हसन अली, डीडब्ल्यू 3 हनीफ अली, डीडब्ल्यू 4 प्रभूराम, डीडब्ल्यू 5 हनुमान के बयान करवाये गये प्रतिवादी ने दस्तावेजी साक्ष्य में सत्य प्रतिलिपि जमाबंदी रोही मोजा डुंगराना खाता संख्या 471/438 संवत 2071–74 EXD 1, रोही मोजा कलाना खाता संख्या 37/34 संवत 2074–77 EXD 2, व खाता संख्या 128/114 EXD 3 व खाता संख्या 392/362 EXD 4 व खाता संख्या 649/597 EXD 5, खाता संख्या 128/114 EXD 6, खाता संख्या 422/392 EXD 7, खतौनी ग्राम कलाना खाता संख्या 312/381 संवत 2010 EXD 8 प्रदर्शित करवाये गये। साक्ष्य प्रतिवादी बंद की जाकर पत्रावली बहस अंतिम हेतु रखी गई।

बहस विद्वान अभिवक्ता वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 सुनी गई। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया तनकी अनुसार निर्णय निम्न प्रकार है :–

तनकी नं0 1 इस तनकी को साबित करने का भार वादीगण पर था वादी का कथन है कि उनके पूर्वजों के खसरा संख्या 91 मिन के चार खसरों में 65–14 बीघा खाम भूमि थी। उसके अलावा खसरा संख्या 89 की 23–17 बीघा और काश्त करता था। सैटलमैंट में उक्त ख0नं0 91 के चार खसरों से खसरा नं0 132 से 135 बनने बताये है। लेकिन खसरा नं0 133 का पुराना नंबर क्या था का [illegible] प्रकार पुनः उक्त खसरों के नये खसरा नंबर बनने बताये है। इसका [illegible] दावा में प्रस्तुत नहीं किया तथा खसरा संख्या 133 बाद [illegible] से दर्ज किया है। वर्तमान खसरा संख्या 734/309 [illegible] जो मिन प्रतिवादी जवाब देहिन्दा की खातेदारी है, को बेवजह वादी ने इसमें शामि[illegible] किया है। भू–प्रबंध विभाग ने मौका पर कब्जा पैमाइस करके कागजात का सही अंकन मुलाहिजा करते हुए रिकार्ड तैयार कर अंकन किया है। ख0नं0 734/309 की खातेदारी जो मिन प्रतिवादी के नाम दर्ज है के बारे में अर्ज है कि रोही गुंजासरी के ख0नं0 89 की 23–17 बीघा चानण

Signature Not Verified
Digitally signed by Kalpit Shivran
Date: 2025.07.10 13:55:03 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

महाजन से खरीद कर दिनांक 14.07.58 को नूरदीन ने अपने नाम से बैयनामा करवाया है जिसके पुख्ता 14–07 बीघा बने तथा शेष बंटवारे में मिली भूमि इस बाबत इस खाता में दर्ज कर दी गई थी। इसके बदले वादीगण को रोही मौजा कलाना में अधिक भूमि दी गई थी जो उमरदीन वल्द मोहम्मदा को ख0नं0 355 की 17–08 बीघा, खसरा नं0 369 की 36–02 बीघा दी गई थी इसी प्रकार वादीगण संख्या 2 ता 12 के वाल्देन कमरदीन को रोही कलाना के खसरा नं 374 की 25–02 बीघा खातेदारी कृषि भूमि दी गई थी। वादी पक्ष ने रोही मोजा डूंगराना वाली भूमि का दावा में विवरण दर्ज किया है जबकि मोहम्मदा पुत्र खुदाबक्स की खातेदारी रोही मोजा कलाना में भी थी। वादीपक्ष को कलाना की भूमि अधिक दी गई थी वादीपक्ष स्वयं अपने आपको ही मोहम्मदा का वारिस मानते है जबकि प्रतिवादी सख्या 1 भी मोहम्मदा का वारिस है। वादी 1 व 13 के पिता उमरदीन को रोही मौजा कलाना के ख0नं0 369 की 36–02 बीघा ख0नं0 355 की 17–08 बीघा कुल 53–10 बीघा खातेदारी मिली, तथा वादी संख्या 2 ता 12 व प्रतिवादी संख्या 10 के वाल्देन कमरदीन को रोही मौजा कलाना के ख0नं0 374 की 25–2 बीघा तथा प्रतिवादी संख्या 1 को खसरा नं0 353 की 9 बीघा प्राप्त हुई। प्रतिवादी सख्या 2 ता 9 के वाल्देन जीमुदीन को खसरा नं0 352 की 13–07 बीघा तथा ख0नं0 618 की 13–07 बीघा इस प्रकार कुल 26–14 बीघा प्राप्त हुई। जो जीमुदीन के वारिसान सराजुदीन के नाम से नया खसरा नं0 1205/352 की 1.682 है0 व 1268/618 की 1.695 है0 कुल 3.377 है0 दर्ज है। इस संबंध में वकील प्रतिवादी ने साक्ष्य प्रतिवादी प्रदर्श 2 से 7 पेश किये गये। प्रतिवादी संख्या 1 मुंशी खां को रोही मोजा कलाना के अलावा रोही मोजा गुंजासरी में 7 बीघा प्राप्त हुई। जो खरीद वाले रकबे के साथ मिलकर उसका 21–07 बीघा का खाता बन गया। ऐसे में वादीगण के उक्त दस्तावेज के संबंध में की गई बहस से वादीगण को कोई बल नहीं मिलता इस प्रकार इस तनकी को वादीगण साबित करने में असफल अतः इस तनकी का निर्णय वादीगण के विरूद्ध व प्रतिवादी संख्या 1 के पक्ष में किया जाता है।

तनकी नं० 2 इस तनकी को भी साबित करने का भार वादीगण पर था। इस संबंध में मोजूदा जमाबंदी प्रदर्श 3 जो रोही मौजा ग्राम डुंगराना के वर्तमान ख0नं0 734/309 की 21–07 बीघा भूमि कभी मोहम्मदा की कृषि भूमि रही हो इस बाबत वादीगण ने कोई दस्तावेजी या मौखिक रिकार्ड पेश नहीं किया है उक्त खसरा की भूमि प्रतिवादी सं० 1 के नाम दर्ज है। ऐसे में उक्त भूमि काश्तकारी अधिनियम लागू होने के दिन मोहम्मदा के कब्जा काश्त में रही हो ऐसा वादीगण साबित नहीं कर सके है क्योंकि यदि कब्जा होता तो मोहम्मदा, चानण महाजन या प्रतिवादी के पिता के विरूद्ध पूर्व में अवश्य दावा कर देता। लेकिन प्रतिवादी संख्या 1 को बंटवारा में मिली 7 बीघा व चानण से खरीदशुदा 23–7 बीघा खाम जिसमें पक्की करीब 14 बीघा बनते है को मिलाकर प्रतिवादी संख्या 1 का एकल खाता 21–7 बीघा का दर्ज हुआ है। जिस पर पहले प्रतिवादी का पिता तथा बाद में प्रतिवादी संख्या 1 पिछले 50 वर्षो से अधिक समय से काबिज है। अब न्यायालय के सामने प्रश्न यह उठता है कि वादभूमि पर कब्जा किसका है इस संबंध में वादीगण द्वारा मुख्य परीक्षा में वादभूमि पर कब्जाकास्त बाबत एक शब्द भी नहीं कहा है। तथा प्रतिवादी के जवाबदावा में गत 50 वर्षो से कब्जा कास्त के कथन का कोई खण्डन नहीं किया गया हैं इसके विपरित प्रतिवादी सं० 1 की ओर से साक्ष्य में डीडब्ल्यू 2 हसनअली जो विवादित भूमि का खेत पडोसी है। हसनअली का [illegible] खेत एक खेत छोड़कर उतरी तरफ पड़ता हैं डीडब्ल्यू 3 हनीफ [illegible] छोड़कर उत्तरी तरफ लगता है। डीडब्ल्यु 4 प्रभुराम जिसका खेत वाद भूमि से पूर्वी दिशा में सीयां जोड लगता है। डीडब्ल्यु 5 हनुमान जिसका खेत वाद भूमि से एक खेत छोड़कर पश्चिमी दिशा में पड़ता है। सभी ने साक्ष्य दी है कि झगडा वाला खेत पहले गुंजासरी की रोही में था जो बाद में सैटलमैण्ट के समय यह खातेदारी डुंगराना की रोही में शामिल कर दी थी। पहले नुरदीन खुद काश्त करता था अब उसका बेटा मुन्शीखां काश्त करता है। इस खेत को उमरदीन, कमरदीन या उसके बेटों ने कभी काश्त नहीं किया। उक्त चारों गवाह खेत

Signature Not Verified
Digitally signed by Kalpit Shivran
Date: 2025.07.10 13:55:03 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

पड़ोसी है। जिनका रोजाना अपने खेत में आना जाना है ऐसे में कब्जा कास्त बाबत उक्त कथनों को ना मानने का कोई कारण पत्रावली पर नहीं है। वादीगण ने वादभूमि को कभी काश्त किया हो ऐसी कोई साक्ष्य उनकी तरफ से पत्रावली पर नहीं आया है। अतः इस तनकी का निर्णय वादीगण के विरुद्ध व प्रतिवादी सं० 1 के पक्ष में किया जाता है।

तनकी 3 इस तनकी को साबित करने का भार सबूत प्रतिवादी संख्या 1 पर था। प्रतिवादी संख्या 1 का जवाबदावा में कथन है कि प्रतिवादी संख्या 1 को बंटवारा में मिली 7 बीघा व चानण से खरीदशुदा 23–17 बीघा खाम जिसमें पक्की करीब 14 बीघा बनते है को मिलाकर प्रतिवादी संख्या 1 का एकल खाता 21–7 बीघा का दर्ज हुआ है। इसके बदले वादीगण को रोही मौजा कलाना में अधिक भूमि दी गई थी जो उमरदीन वल्द मोहम्मदा को ख0नं0 355 की 17–08 बीघा, खसरा नं0 369 की 36–02 बीघा दी गई थी इसी प्रकार वादीगण संख्या 2 ता 12 के वाल्देन कमरदीन को रोही कलाना के खसरा नं 374 की 25–02 बीघा खातेदारी कृषि भूमि दी गई थी। वादी पक्ष ने रोही मोजा डूंगराना वाली भूमि का दावा में विवरण दर्ज किया है जबकि मोहम्मदा पुत्र खुदाबक्स की खातेदारी रोही मोजा कलाना में भी थी। वादीपक्ष को कलाना की भूमि अधिक दी गई थी वादीपक्ष स्वयं अपने आपको ही मोहम्मदा का वारिस मानते है जबकि प्रतिवादी सख्या 1 भी मोहम्मदा का वारिस है। वादी 1 व 13 के पिता उमरदीन को रोही मौजा कलाना के ख0नं0 369 की 36–02 बीघा ख0नं0 355 की 17–08 बीघा कुल 53–10 बीघा खातेदारी मिली, तथा वादी संख्या 2 ता 12 व प्रतिवादी संख्या 10 के वाल्देन कमरदीन को रोही मौजा कलाना के ख0नं0 374 की 25–2 बीघा तथा प्रतिवादी संख्या 1 को खसरा नं0 353 की 9 बीघा प्राप्त हुई। प्रतिवादी सख्या 2 ता 9 के वाल्देन जीमुदीन को खसरा नं0 352 की 13–07 बीघा तथा ख0नं0 618 की 13–07 बीघा इस प्रकार कुल 26–14 बीघा प्राप्त हुई। जो जीमुदीन के वारिसान सराजुदीन के नाम से नया खसरा नं0 1205/352 की 1.682 है0 व 1268/618 की 1.695 है0 कुल 3.377 है0 दर्ज है। प्रतिवादी संख्या 1 मुंशी खां को रोही मोजा कलाना के अलावा रोही मोजा गुंजासरी में 7 बीघा प्राप्त हुई। जो खरीद वाले रकबे के साथ मिलकर उसका 21–07 बीघा का खाता बन गया। ऐसे में वादीगण के उक्त दस्तावेज के संबंध में की गई बहस से वादीगण को कोई बल नहीं मिलता इस प्रकार इस तनकी को प्रतिवादी संख्या 1 साबित करने में सफल रहा। अतः इस तनकी का निर्णय वादीगण के विरूद्ध व प्रतिवादी संख्या 1 के पक्ष में किया जाता है।

तनकी नं0 4 इस तनकी को साबित का भार सबुत प्रतिवादी संख्या 1 पर था। वादीगण ने मोजूदा दावा केवल रोही डूंगराना की खातेदारी के बाबत ही प्रस्तुत किया है जबकि प्रतिवादी ने जबाब दावा की मद सं० 9 में स्पष्ट तौर से रोही कलाना की भूमि का विवरण दर्ज करते हुऐ वादीगण व प्रतिवादीगण को मिलने वाली वाद भूमि के खसरे नं० व तादादी वर्णित की है। वादीगण द्वारा उक्त मद का खण्डन जबाब दावा का प्रत्युत्तर प्रस्तुत करके या मौखिक साक्ष्य में किसी प्रकार नहीं किया है, अपितू वादीगण ने रोही कलाना की खातेदारी की बाबत कोई हवाला तक अपने दावा में दर्ज नहीं किया है वाद भूमि के अलावा पक्षकारान दावा के पूर्व की और भूमि रोही कलाना में भी है जिसकी बाबत वादीगण ने कोई हवाला अपने दावा में नहीं किया है इस संबंध में मोजूदा जमाबंदी प्रदर्श 3 जो रोही मौजा ग्राम डुंगराना के वर्तमान ख0नं0 784 [illegible] 21–07 बीघा भूमि कभी मोहम्मदा की कृषि भूमि रही हो इस बाबत वादीगण ने [illegible] जी या मौखिक रिकार्ड पेश नहीं किया है उक्त खसरा की भूमि प्रतिवादी सं0 1 के [illegible] है। ऐसे में उक्त भूमि काश्तकारी अधिनियम लागू होने के [illegible] काश्त में रही हो ऐसा वादीगण साबित नहीं कर सके है क्योंकि यदि कब्जा होता [illegible] मोहम्मदा चानण महाजन या प्रतिवादी के पिता के विरूद्ध पूर्व में अवश्य दावा कर देता। लेकिन प्रतिवादी संख्या 1 को बंटवारा में मिली 7 बीघा व चानण से खरीदशुदा 23–17 बीघा खाम जिसमें पक्की करीब 14 बीघा बनते है को मिलाकर प्रतिवादी संख्या 1 का एकल खाता 21–7 बीघा का दर्ज हुआ है। जिस पर पहले प्रतिवादी का पिता तथा बाद में प्रतिवादी संख्या 1 पिछले 50 वर्षो

Signature Not Verified
Digitally signed by Kalpit Shivran
Date: 2025.07.10 13:55:03 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

से अधिक समय से काबिज है। अब न्यायालय के सामने प्रश्न यह उठता है कि वादभूमि पर कब्जा किसका है इस संबंध में वादीगण द्वारा मुख्य परीक्षा में वादभूमि पर कब्जाकास्त बाबत एक शब्द भी नहीं कहा है तथा प्रतिवादी के जवाबदावा में गत 50 वर्षों से कब्जा कास्त के कथन का कोई खण्डन नहीं किया गया हैं इसके विपरित प्रतिवादी सं० 1 की ओर से साक्ष्य में डीडब्ल्यू 2 हसनअली जो विवादित भूमि का खेत पड़ोसी है। हसनअली का खुद का खेत एक खेत छोड़कर उत्तरी तरफ पड़ता हैं डीडब्ल्यू 3 हनीफ अली जिसका खेत वादभूमि से एक खेत छोडकर उत्तरी तरफ लगता है। डीडब्ल्यु 4 प्रभुराम जिसका खेत वाद भूमि से पूर्वी दिशा में सीयां जोड लगता है। डीडब्ल्यु 5 हनुमान जिसका खेत वाद भूमि से एक खेत छोड़कर पश्चिमी दिशा में पड़ता है। सभी ने साक्ष्य दी है कि झगडा वाला खेत पहले गुंजासरी की रोही में था जो बाद में सैटलमैण्ट के समय यह खातेदारी डुंगराना की रोही में शामिल कर दी थी। पहले नुरदीन खुद काश्त करता था अब उसका बेटा मुन्शीखां काश्त करता है। इस खेत को उमरदीन, कमरदीन या उसके बेटों ने कभी काश्त नहीं किया। उक्त चारों गवाह खेत पडोसी है। जिनका रोजाना अपने खेत में आना जाना है ऐसे में कब्जा कास्त बाबत उक्त कथनों को ना मानने का कोई कारण पत्रावली पर नहीं है। वादीगण ने वादभूमि को कभी काश्त किया हो ऐसी कोई साक्ष्य उनकी तरफ से पत्रावली पर नहीं आया है। अतः इस तनकी का निर्णय वादीगण के विरुद्ध व प्रतिवादी सं० 1 के पक्ष में किया जाता है।

तनकी नं० 5 इस तनकी को साबित करने का भार सबुत प्रतिवादी 1 पर था प्रतिवादी संख्या 1 ने वादी संख्या 1 की जिरह में वादी ने स्वीकार किया है कि हमने दावा में अशरफिया समसुदीन मेहरदीन गनिया नानू उमरदीन के वारिसान को पक्षकार दर्ज नहीं किया है ना ही शरीफ की पुत्री बलकीस को दावा में पक्षकार दर्ज किया है। अतः तनकी संख्या 5 भी वादी के विरूद्ध तथा प्रतिवादी संख्या 1 के पक्ष में तय की जाती है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर वादीगण वाद भूमि वर्तमान रोही [illegible] ख०नं० 734/309 की कृषि भूमि में 14 बीघा 7 बिस्वा भूमि जो नूरदीन [illegible] है को छोड़ते हुए भूमि का कुल रकबा 5.400 है0 में से कम करते हुए शेष भूमि [illegible] अपना दावा साबित करने में असफल रहे है। इस कारण दावा वादीगण खारिज किया जाता है। खर्चा पक्षकारान अपना अपना बहन करें। इसी अनुरूप पर्चा डिक्री जारी हो[illegible]

यह निर्णय आज दिनांक 10.06.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(कल्पित शिवरान)RAS
सहायक कलक्टर(फास्ट ट्रैक)
भादरा

Signature Not Verified
Digitally signed by Kalpit Shivran
Date: 2025.07.10 13:55:03 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner